

(8)

**“ लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत समितियों के बारे में
जानकारी”**

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) (viii) के अंतर्गत)

- विभागीय परामर्शदात्री समिति